

मुकाम या कार्यवाही मय इतिशियल्ला जज

तारीख
मुकाम

16/11/20

अबली पेश हुई अभिप्रेत उमय पदा उपस्थित है। आज मोगरा
अपकण्ट अधिकारी राज कर्षण बाहर दो व तारीख रचरी है।
प्रथम कार्य में लक्ष है। अभिप्रेत कर्षण कर्षण पर है। अब
दूसरी तारीख कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/20 को पेश हो
पार्टी नं. 2 की बाटे से प्राप्त कागज फाइल
व थागा लालेडा से रिपोर्ट मंगवाने हेतु
शा. फा. पेश दिनांक 21/11/20

24/11/25

अबली पेश हुई फाइल पार्टी नं. 1 व 2 उजल पार्टी नं. 1 व 2 दारा
राजीनामा व मायना पत्र तजमम मुकामान वत धानाधिकारी तालेज
से रिपोर्ट प्राप्त हुई। धानाधिकारी तालेज दारा अपनी रिपोर्ट
में पार्टी नं. 1 जोशराज के कागज मुकामान के रूप में नीलु रावेर
जोशराज सिंह, धाराधर सिंह नमालिंग पुत्र श्रीजोलेन्द्र
सिंह, पुनम नमालिंग पुत्र जोलेन्द्र सिंह एवं कुमलेश कुपट
पुत्र जोशराज सिंह को सही तलाशा जमा की प्रकृता में
भूमि ख. सं. 446 खवा 10वीं व 11वीं के सम्बन्ध में दोनों पक्षों
के मध्य अंतराल धारा 145 CrPc के तहत प्रकरण रूप कृतवामा
जमा की प्रकरण में दिनांक 25/11/2004 को ख. सं. 446 गिन
में से 10वीं व 11वीं भूमि पर शीतलर नियुक्त किया जमा की अन्त
जाने एवं दिनांक 21/11/2024 को दोनों पक्षों में राजीनामा
माने न्यायालय मण्डल अजमेर में पेश किया जमा की
राजीनामा व समानाह के अनुसार धानाधिकारी तालेज में 10वीं व 11वीं
भूमि व भूमि की रिसिप्टी शारी दितोय पत्र नरेन्द्र सिंह के
हक व कब्जे में रहना व अधिकारी होना दोनों पक्षों में स्वीकार
करना अवगत कृतवामा। दोनों पक्षों में राजीनामा के आधारे या
अन्त रिपोर्ट जमीन के सम्बन्ध में धारा 145 जाबदी
की कार्यवाही हॉप किये जाने में धानाधिकारी तालेज द्वारा
अनापति जाहिर की।

धानाधिकारी तालेज दारा उपरि रिपोर्ट एवं पार्टी
नं. 1 व 2 दारा प्राप्त राजीनामा पत्र एवं तलाश व
अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित के मध्य
माने न्यायालय मण्डल अजमेर में राजीनामा के
आधारे या प्रकरण अनिलक्षण हो जाने से एवं रिपोर्ट
धानाधिकारी तालेज अनुवाद पार्टी नं. 1 व 2 के मध्य विवाद
समाप्त हो जाने से इस न्यायालय अन्तर्गत धारा

145 जाबदी
अन्त, रिपोर्ट
एवं फाइल
को उ
सम्ब
र

नोट

24/11/25

25/11/25

मुकाम
16/11/20
24/11/25

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

145 जाफो प्रकरण के विचारण का कोई औचित्य नहीं रहता।
अतः निम्नानुसार स्थिती शशि का माननीय न्यायालय के निर्णय
एवं पत्रादेश की सहमति से शशि का मुकतान नरेन्द्र सिंह पाटी मे.2
को करते हुए कब्जा निम्नानुसार काबिज कास्ट खातेदार को
सम्भलया जावे। पत्रावली इसी स्तर पर ~~अप~~ ड्रॉप की जाती है।
पत्रावली फंसल मुमा होकर नम्बर से कम होनी बाक तामील
तामिल निम्नानुसार दायिल दफतर हो 